न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 9/21 तारीख 12.2.2021

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....9../ 2020 पत्थरगढ़ी बाबत्।

01. लालीदेवी पत्नि हीरालाल जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थी

बनाम

01. दूदानाथ पिता नाथुनाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. दुदानाथ पिता कानानाथ जाति कालबेलिया उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
03. सिमराबाई पत्नि कैलाशचन्द्र जाति कालबेलिया उम्र वयस्क उम्र वयस्क निवासी किशनपुरिया तहसील बिंजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है कि **मौजा किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 87 पर अंकित आराजी संख्या 207/1 रकबा 2.7114 हैक्टेयर, आराजी संख्या 208/1 रकबा 1.5621 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 4.2735 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 152 पर अंकित आराजी संख्या 4 रकबा 1.1979 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/–तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पड़ौसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

FROM 111

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम वगैराह

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र 111–128 राज0ले0रे0 एक्ट मुकदमा नं0 9 सन् 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/2/21	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र स्वामित्व बाबत् नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिससे जाहिर होता है कि पत्थर गढ़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट स्वीकार किया है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्रावली निर्णित शुमार समझी जाकर नम्बर से कम की जावें। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	